





फर्द अहकाम

लक्ष्मीनारायण व अन्य बनाम दिनेश व अन्य

संख्या: 44/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.01.2025	<p>वकील वादी ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 13/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जयपुर द्वितीय (सांगानेर)                 </p>	
19/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी अथ 390/ अज्ञापीठिन (उत्रिवादी को नोटिस जाते 100 दिनों) वास्तु इन्तजार तमील पत्रावली दिनांक 27/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जयपुर द्वितीय (सांगानेर)                 </p>	<p>नोटिस जारी                      1007-1009                      7/2/25</p>
27/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अथ 390/ वास्तु इन्तजार तमील हेतु पत्रावली दिनांक 27/2/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जयपुर द्वितीय (सांगानेर)                 </p>	
27/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीओओ साहब अल्प समय कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/2/25 को पेश हो।</p>	
24/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वकील उत्रिवादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में वकील वादी व वकील उत्रिवादी को बार-बार धारा 107/108/109 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा रहा है। पत्रावली दर्ज नुसार से कम देकर वास्तु तमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जयपुर द्वितीय (सांगानेर)                 </p>	